

जीजेईपीसी/नवीनीकरण/2014-2015/००।।।

सेवा में,

परिषद के सभी एसोसिएट सदस्य/साधारण सदस्य,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-2016 के सदस्यता के नवीनीकरण के लिए।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 के सदस्यता नवीनीकरण के अंतर्नियमों के उपर्युक्त अनुसार सदस्यता का नवीनीकरण अस्से शुरू किया जाना अपेक्षित है।

गत वर्ष की तरह परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org के माध्यम से सदस्यता नवीनीकरण के ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है।

सदस्यों को लेखा वर्ष 2014-2015 के नियर्यात के आधार पर 2015-2016 का सदस्यता अप्रैल 2015 से लागू शुल्क तथा सदस्यों हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 तथा सदस्यता की नियमावली परिशिष्ट- 1 और 2 में संलग्न है।

चेक/डीडी द्वारा सदस्यता शुल्क भरने की प्रक्रिया गत वर्ष की तरह ही है, देय शुल्क निर्दिष्ट बैंक में किया जा सकता है। जोकि परिषद के वेबसाइट पर जापानी है। वर्तमान परिषद के सदस्य अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो पहले से फ़ोन परिषद के वेबसाइट www.gjepc.org पर जा कर सदस्यता सेवशन में लॉगिन कर सकते हैं।

इसके अलावा, परिषद आपके मेम्बरशिप डेशबोर्ड के द्वारा सदस्यता शुल्क के ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान कर्त्ता जा सकती है। यदि सुदृश्य गेटवे भुगतान का दिक्कतव्य मूलतः 2% सुविधा शुल्क के साथ-साथ सेवा कर भी देय होगा।

ध्यान रखें कि सदस्यता बैंक में भुगतान प्राप्ति के पश्चात ही मिलेंगे, चेक के सदस्यता करने की तरीख को सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने का आधार नहीं माना जाएगा।

सदस्यों को यह भी ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है जनवरी 2015 के प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग सुविधा भी कार्यान्वित कर दी है। परिषद द्वारा



The Gem & Jewellery Export Promotion Council

सदस्यता अभूषण नियर्यात संबर्धन परिषद्

मुख्य कार्यालय: टावर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फॉक्स / Fax: 91-22-2652 47 64

ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: <http://www.gjepc.org>

CIN : U99100MH1966GAP013486



SPONSORED BY THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

पर डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध होंगे और आप www.gjepc.org पर लॉगइन करने के आप अपने माई जीजेरेपीसी डैशबोर्ड से इसका प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।

सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी इत्यादि के

परिशिष्ट-1

वित वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क

1-सदस्यता शुल्क :- वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतःघोषणा के साथ वर्ष 2014-15 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

2. सेवा कर: जो भी लागू हो।

3. वर्ष 2015-16 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपको द्वारा निम्नलिखित राशि देय है :

वर्ष 2014 -15 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क रु.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000/-
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड रु. तक निर्यात	10,000/-
1 करोड रु. से अधिक और 5 करोड रु. तक निर्यात	15,000/-
5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात	30,000/-
15 करोड रु. से अधिक और 50 करोड रु. तक निर्यात	40,000/-
50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	65,000/-
100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात	1,00,000/-
500 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	1,50,000/-
1000 करोड रु. से अधिक निर्यात	2,00,000/-

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा कर देय होगा।

4-बकाया भुगतान :- यह भी नोट करें कि वर्ष 2015 -16 के सदस्यता का नवीनीकरण करते समय गत वर्ष में परिषद के सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया को गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए विल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम

माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

5-कंपनी समूह :- सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। शंका के निवारण हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

6-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :- सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन.
- सॉलिटेर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ.

सामान्य नियम एवं विनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ॐ एसोसिएस के परिच्छेद 1 और सदस्यता के नियम।

2- सदस्यों की श्रेणियाँ।

3-1 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ।

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य :
- (ख) साधारण सदस्य :

3.2- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

(क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।

(ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।

(ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :

(i) लघु उद्योग 10 लाख रु.

(ii) अन्य 25 लाख रु.

8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ

8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

(ख) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;

(ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो।

(घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लंघन किया हो।

(ङ) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो।

(च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो।

(छ) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो।

8.2- समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशेष अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

- (क) यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- (ख) यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा
- (ग) यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- (घ) यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- (ङ) यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो।

8.3-एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

11- सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1-साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात :

- (क) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।
- (ख) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (घ) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और

(ड) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं* का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

11.2-एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात्:

- (क) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ग) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

सुविधाएं, अर्थात्

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकन.
- सॉलियोटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेशी प्रदर्शनियों, निर्यात संवर्धन दौरा, विदेश में ब्रान्ड आभूषण की प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के अनुमतियाँ।

13- विशेषाधिकार का स्थगन

13.1- अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

- (क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और

(ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और समिति इस तरह के बकाया लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती है और उसके निलंबन को बहाल नहीं करती।

समाप्त.

परिशिष्ट-2

नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि

1. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।
2. निर्धारित चालान पर बैंक द्वारा भुगतान प्राप्ति की मुहर वाले प्रति की फोटो कॉपी चालान पर दिये गए पते पर परिषद के कार्यालय में जमा करें।
3. मुंबई में स्थित सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे केवल आईसीआईसीआई बैंक निम्नलिखित शाखाओं में ही भुगतान करें।
आईसीआईसीआई बैंक लि. ई-टॉवर, तल मजला, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400,051 या आईसीआईसीआई बैंक लि., ऑपेरा हाउस शाखा, डॉ. डी.बी. मार्ग, मुंबई - 400004 में भुगतान करने की आवश्यकता है।
4. सदस्यता देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही जारी कि जाएगी न कि, बैंक में चेक/डीडी/पीओ जमा करने की तारीख के आधार पर। यदि चेक पास नहीं होता है, तो सदस्यता को निलंबित माना जाएगा और चेक पास न होने के कारण बैंक द्वारा लिये गए शुल्क का भुगतान उस सदस्य(यों) को जीजेर्पीसी को करना होगा।
5. यदि किसी सदस्य को सदस्यता की तत्काल आवश्यकता हो तो वह देय शुल्क का भुगतान जीजेर्पीसी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा किसी भी अधिकृत बैंक में कर त्वरित लाभ ले सकता है। कृपया पे ऑर्डर /डीडी के पीछे अपने कंपनी का नाम और संपर्क नंबर अवश्य लिखें।
6. वेबसाइट से चालान तीन प्रतियों में मुद्रित किया जा सकता है, और उसे सदस्यता शुल्क के साथ ऊपर बताये गए के अनुसार केवल आईसीआईसीआई बैंक में ही जमा करना है।

7. भुगतान के बाद बैंक से प्राप्त प्रतिलिपि परिषद को ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। कृपया संदर्भ हेतु विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।
9. भुगतान चालान के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ बिना पूरी तरह से पूरा भरना चाहिए।
10. चालान पर यथानुसार निर्यात/आयात की घोषणा को संस्थान के मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ जमा किया जाना चाहिए। हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तहत आदेश प्रसार के अनुरूप माना जाएगा। चालान पर किसी भी ब्रूटिपूर्ण अथवा असत्य घोषणा के लिए सदस्य परिषद को किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व अथवा किसी भी तृतीय पक्ष के दावे से मुक्त रखेगा जो की किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/निर्यात के घोषित दावे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ती सदस्य की जिम्मेदारी होगी।
11. सदस्यता शुल्क के लिए एफओबी के आधार पर भुगतान किया जाना आवश्यक है जो वर्ष 2014-15 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात वस्तुओं (01-4-2014 से 31-3-2015 तक यानी, दोनों दिन शामिल) के मूल्य के रूप में अनुलग्नक-1 में दिखाया गया है।
12. सदस्य वेबसाइट पर उपलब्ध नवीकरण फार्म विधिवत हस्ताक्षर कर बैंक द्वारा समर्थन भुगतान चालान सहित सदस्यता के रूप में ई-मेल, कूरियर द्वारा या हैंड डिलिवरी के द्वारा अनुबंध-3 में उल्लिखित पते पर अपने क्षेत्र में स्थित संबंधित परिषद के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं।
13. पैनेल में परिवर्तन के लिए निवेदन का फॉर्मेट (प्रारूप) जीजेईपीसी के वेबसाइट पर आपके मेम्बरशिप डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। अपने लेटर हेड पर इसका प्रिन्ट आठट लीजिये और इसे जीजेईपीसी में जमा कीजिये।

परिशिष्ट-3

संदर्भ: जीजेसी/मेम्बरकार्ड/2014-15/००१९

26th March, 2015

सेवा में,
परिषद के सभी सदस्य,

विषय: जीजेईपीसी के सदस्यों को फोटो आईडी कार्ड जारी करना।

प्रिय सदस्य,

उपरोक्त विषयानुसार हमारेपत्र तारीख 28 जनवरी 2015 के क्रम में हम आपको सूचित करते हैं कि परिषद अपने सदस्यों को जीजेईपीसी फोटो आईडी जारी करने की प्रक्रिया में है।

जीजेईपीसी फोटो आईडी कार्ड हर वर्ष 31 मार्च तक ही मान्य होगा और सदस्यता के नविनीकरण के आधार पर इसे फिर से नवीनिकृत किया जाएगा और इसमें भागीदार/निदेशक/मालिक, फर्म का नाम और पता, जारी करने की तारीख, सदस्यता नंबर और कार्ड का आईडी नंबर शामिल होगा।

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि, एक सदस्य को केवल एक ही कार्ड जारी किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति एक से ज्यादा फर्म में भागीदार/निदेशक/मालिक है।

दूसरे चरण में जीजेईपीसी कार्ड को आईआईजेएस सिग्नेचर के आगंतुक भागीदारी से लिंक कर दिया जाएगा और सदस्यों को भागीदार/मालिक/निदेशक के लिए आगंतुक बैज पाने के लिए दस्तावेजों को दोबारा जमा नहीं करना पड़ेगा।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रामाणिक आईडी प्रूफ (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पास्पोर्ट, आधार कार्ड (कोई भी एक)) के साथ अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ़ स्कैन करके नीचे दिये गए ईमेल पते पर भेज दें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया जीजेईपीसी सदस्यता कार्ड टीम से 91-22-40203670 और member.card@gjepcindia.com पर संपर्क करें।

धन्यवाद,

सादर

महेश ने दृष्टि

सद्यासची रे

कार्यकारी निदेशक

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)
Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फॉक्स / Fax: 91-22-2652 47 64

ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: <http://www.gjepc.org>

CIN : U99100MH1966GAP013486

ANNEXURE - 4

LIST OF COUNCIL'S REGIONAL OFFICES
<No Translation required >

<p>Chennai The Gem & Jewellery Export Promotion Council Ankur Plaza III Floor, 113 (Old No 52) G.N. Chetty Road, T. Nagar Chennai - 17. Tel : 0091-44-2815 5180 Fax : 0091-44-2815 4526 Email: chennai@gjepcindia.com Contact: Shri R. Surya Narayanan, Asst. Director</p>	<p>New Delhi The Gem & Jewellery Export Promotion Council F 17-18, Flatted Factories Complex, Jhandewalan, New Delhi - 110 055. Tel : 011 - 46266900, 46266920 to 926 Fax : 011 - 23675274 Email :delhi@gjepcindia.com Contact: Shri Tarun Ray, Assistant Director</p>
<p>Jaipur The Gem & Jewellery Export Promotion Council Rajasthan Chamber Bhawan, 3rd Floor, Mirza Ismail Road, Jaipur - 302 003. Tel : 0091-141-256 8029 / 257 4074 Fax : 0091-141-256 7921 / 257 4078 Email :jaipur@gjepcindia.com</p>	<p>Kolkata The Gem & Jewellery Export Promotion Council Vanijya Bhavan, 6th Flr, Left Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata: 700 016. Tel : 0091-33-2282 3630 / 2282 3629 Fax : 0091-33-2282 3629 Email: kolkata@gjepcindia.com</p>